

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / स्था0 / 2017 /673.....

जबलपुर दिनांक: 03/08/2017

आदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण विभागों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2017-18) के लिए माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में आयोजित साक्षात्कार समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अतिथि विद्वानों को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है—

क्र.	विभाग का नाम	अतिथि विद्वानों की सूची
1.	हिन्दी	1. डॉ. आशा रानी 2. डॉ. स्वाति मिश्रा 3. डॉ. सोना पाठक 4. प्रीति पाण्डेय
2.	संस्कृत	1. डॉ. ममता गुप्ता 2. डॉ. हितेश कुमार चौरे 3. डॉ. रीझन लाल झारिया 4. डॉ. रविश तमन्ना ताजिर
3.	ग्रंथालय विज्ञान	1. आरती ग्वाले 2. डॉ. सत्य प्रकाश त्रिपाठी 3. डॉ. जयेन्द्र कुमार सिंह
4.	अंग्रेजी	1. डॉ. प्रज्ञा गुप्ता 2. डॉ. प्रशांत महाजन
5.	गणित एवं कम्प्यूटर साइंस	1. डॉ. अनिमेष गुप्ता 2. डॉ. निर्मला जैन
6.	एम.सी.ए.	1. नरेश कुमार सोधिया 2. कामता प्रसाद मिश्र 3. सुमन चन्दानन 4. सुरभि सिंह 5. शालिनी झनझोटे
7.	समाज शास्त्र एवं जनजाति अध्ययन	1. डॉ. इन्दु ठाकुर 2. डॉ. तृप्ति मांझी 3. डॉ. राजाराम सिंह
8.	समाज कार्य	1. डॉ. छवि कुमार 2. डॉ. रज्जन द्विवेदी 3. डॉ. अविनाश राय
9.	इतिहास	1. डॉ. राजुल अग्रवाल 2. डॉ. शिवपाल पटेल 3. डॉ. नीलेश शर्मा
10.	राजनीति विज्ञान	1. डॉ. प्रवेश पाण्डेय 2. डॉ. तरुणा राठौर 3. डॉ. पूर्णिमा शर्मा 4. श्री आशीष यादव

क्र.	विभाग का नाम	अतिथि विद्वानों की सूची
11.	भूगोल	1. डॉ. मुनीश कुमार नेगी 2. डॉ. नीतू जाट 3. डॉ. देवाशु गौतम
12.	अर्थशास्त्र	1. डॉ. रोहित बलथानी 2. डॉ. दशमंत दास पटेल
13.	विधि कान्सटीट्यूशनल लॉ क्रिमिनल लॉ ह्यूमन राइट्स अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र	1. डॉ. शरद साहू 2. डॉ. सुनील शर्मा 3. अकिता बिसेन 4. सृष्टि सोनी 1. डॉ. सुजाता श्रीवास्तव 2. अंजली पारे 3. डॉ. नीना प्यासी 4. विधि सम्भारकर 1. डॉ. चेतना उपाध्याय 2. डॉ. उमाकांत गजबीर 3. डॉ. नीरज प्रकाश राय 1. गुलफास खॉं 1. डॉ. रनवीर कलशी 2. डॉ. सगुप्ता कौसर
14.	प्रबंधन	1. डॉ. रंजना पाण्डेय मिश्रा 2. डॉ. अभिनिका साहू 3. हिमांगनी सिंह 4. रितु श्रीवास 5. अंजना राय
15.	शिक्षा	1. डॉ. निधि दरबारी 2. डॉ. परिधि वर्मा 3. डॉ. रानी वैद्य 4. डॉ. अमरीषा देशमुख 5. डॉ. दीप्ति जैन 6. डॉ. अंजू सिंह 7. श्रीमती कपिला शर्मा 8. श्रीमती रेखा श्रीवास्तव
16.	दर्शन शास्त्र	1. डॉ. पॉसकल बेक 2. डॉ. देवेन्द्र कुमार जाटव 3. रश्मि पटेल
17.	योग	1. राजेश कुमार पाण्डेय 2. वर्षा अवस्थी 3. राकेश गोस्वामी 4. रीना मिश्रा
18.	प्राचीन भारतीय इतिहास	1. डॉ. मुक्ति मिश्रा 2. डॉ. अभय सिंह 3. डॉ. शिवव्रत मोहंती

क्र.	विभाग का नाम	अतिथि विद्वानों की सूची
19.	शारीरिक शिक्षा	<u>शारीरिक शिक्षा</u> 1. डॉ. शालिनी यादव 2. डॉ. विवेक चौबे 3. नेहा तिवारी 4. डॉ. आदित्य गढ़वाल <u>शारीरिक शिक्षा (प्रशिक्षक)</u> 1. पूजा साहू 2. सुदर्शन सिंह ठाकुर 3. डॉ. दीपेन्द्र यादव 4. प्रवीण पाण्डेय 5. डॉ. प्रसन्नजीत चटर्जी 6. कन्हैया कुमार राठौर
20.	पत्रकारिता	1. डॉ. शैलेन्द्र सिंह 2. विकास चन्द्र 3. डॉ. मो. जावेद
21.	भौतिक शास्त्र एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1. डॉ. अंजली 2. गार्गी भट्टाचार्य
22.	रसायन शास्त्र एवं फार्मसी	<u>रसायन शास्त्र</u> 1. डॉ. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा 2. डॉ. रानू चतुर्वेदी 3. डॉ. दीपक कुमार रजक 4. डॉ. ज्योति चौबे 5. डॉ. एल.पी. बागरी <u>फार्मसी</u> 1. श्री वहीद खान 2. श्री रितेश चौरसिया 3. कु. निशा सोनकर 4. श्री राहुल नायक 5. श्री मदन सिंह 6. श्री आशीष गर्ग 7. कु. श्वेता गर्ग 8. श्री चंदन एस. अहिरवार <u>फार्मसी (गणित एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन)</u> 1. कल्पना विश्वकर्मा
23.	जीव विज्ञान	<u>जीव रसायन</u> 1. डॉ. सरब जोत कौर सोहल <u>वनस्पति शास्त्र</u> 1. डॉ. रानी वर्मा

क्र.	विभाग का नाम	अतिथि विद्वानों की सूची
24.	कौशल विकास एवं बी. वोक एम.सी.ए. मैनेजमेंट मनोविज्ञान जीव रसायन जूलाजी बी.वोक. (बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी) सिविल इंजी.	1. डॉ. अजय मिश्रा 1. डॉ. उरूस फातिमा रिजवी 1. डॉ. मीनल दुबे 1. डॉ. मोहम्मद दानिश सिद्दीकी 1. डॉ. विनीता गिरदौनिया 1. आदित्य विश्वकर्मा

शर्तें :-

- उपरोक्तानुसार उल्लेखित अतिथि विद्वानों को आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 969/एफ-1-9/ 2016/38-01 भोपाल, दिनांक 08.08.2016 के नियमानुसार रुपये 275/- (प्रतिकाल खण्ड - 45 मिनट), अधिकतम रुपये 825/- प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय का भुगतान विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं उपस्थिति पत्रक के आधार पर विभागों के स्ववित्तीय मद अथवा विश्वविद्यालय सामान्य कोष (जैसा लागू हो) से देय होगा। अतिथि विद्वानों को प्रतिदिन 03 कालखण्ड अध्यापन कार्य की अधिकतम सीमा निर्धारित रहेगी।
- अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।
- अतिथि विद्वान विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान किसी अन्य संस्था में अध्यापन कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अतिथि विद्वानों के अध्यापन के कालखण्डों का निर्धारण अनुशासित व्यवहार एवं कक्षा में अध्यापन की दक्षता का प्रमाणन संबन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
- आदेश प्रसारण के सात कार्य दिवस के अन्दर आमंत्रण की सहमति संबंधित शैक्षणिक विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,

(डॉ. बी. भरती)

कुलसचिव

जबलपुर दिनांक 03/08/2017

पृ.क्र./स्था0/2017/.....673

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को
- समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रभारी आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- वित्त नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- संबन्धित नस्ती

कुलसचिव